भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 134

(जिसका उत्तर सोमवार**,** 21 जुलाई**,** 2025/30 आषाढ़**,** 1947 **(**शक) को दिया जाना है)

डाकघरों के पुनर्निर्माण और मरम्मत के लिए बजट का आवंटन

134. श्री संजय उत्तमराव देशमुखः
श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबालकरः

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने डाकघरों के पुनर्निर्माण और मरम्मत के साथ-साथ बुनियादी ढांचे के विकास के लिए अलग से बजट आवंटित किया है या आवंटित करने पर विचार कर रही है;

(ख) क्या सरकार ने ऐसे डाकघर भवन, जो बहुत पुराने हैं या जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है, की मरम्मत के लिए कोई विशेष कोष/योजना स्थापित की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को डाक विभाग से ऐसे पुराने और जीर्ण-शीर्ण भवनों की मरम्मत और सुरक्षा के उद्देश्य से बोरवेल, चारदीवारी और जनरेटर आदि की आवश्यकता के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): सरकार 'संपदा प्रबंधन' के तहत बजट आवंटित करती है जिसमें आस्तियों के इष्टतम उपयोग के साथ कुशल डाक संचालन के लिए मौजूदा पुराने डाक भवनों के पुनर्निर्माण और नवीनीकरण हेतु परिव्यय शामिल है।

(ख): संपदा प्रबंधन योजना (ईएमएस) जिसके तहत मौजूदा पुराने डाक भवनों के पुनर्निर्माण और नवीनीकरण के लिए सहायता प्रदान की जाती है, जो कि डाक विभाग की एक निरंतर केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।

(ग): संदाय प्रबंधन योजना (ईएमएस) का कुल परिव्यय 5 वर्ष की अवधि वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 में लगभग 474 करोड़ रुपये था। इस योजना के तहत वित्त वर्ष 2024-25 तक वास्तविक खर्च लगभग 353 करोड़ रुपये है।

(घ) और (ङ): डाक लॉजिस्टिक्स अवसंरचना परियोजना के लिए सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पीआईबी) ज्ञापन मसौदा स्तर पर डाक विभाग से प्राप्त किया गया है जिसमें डाकघर काउंटरों और संचालन क्षेत्रों के उन्नयन से संबंधित घटक शामिल हैं।

*****